



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221992
CG-DL-E-25092020-221992

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942

No. 378]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/303/13/डीडी/293/13/डीसी/510/16.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सी.ए. राज शेखर एम एस (सदस्यता सं. 200772), मेछेरी मनोर 2, एस आर अय्यर लेआउट, ऑल इंडिया रेडियो के समीप, कोयंबटूर को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सी.ए. राज शेखर एम एस (सदस्यता सं. 200772) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सी.ए. राज शेखर एम एस (सदस्यता सं. 200772) का नाम, 25 सितंबर, 2020 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./243/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/303/13/DD/293/13/DC/510/16.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Raj Seckhar M S (Membership No. 200772), Mecheri Manor 2, S R Iyer Layout, Near All India Radio, Coimbatore**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Raj Seckhar M S (Membership No. 200772) from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Raj Seckhar M S (Membership No. 200772)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) month with effect from 25th September, 2020.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty/243/2020-21]